

14.9.22

यत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण में वकील वादी की एक तरफा बहस पूर्व में सुनी गई, प्रकरण में बहस सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा यत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रकरण में वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं। और नही साक्ष्य शपथ पत्र होने से प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्शित नहीं किया जा सका है। एबी डेन्स एक्ट के नियम के तहत यदि कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं होता है तो वो दस्तावेज न्यायालय द्वारा पढ़ा नहीं जायेगा अगर प्रकरण में दस्तावेज पढ़े ही नहीं जायेंगे तो यह दावा साक्ष्य के अभाव खारिज होने योग्य है।

अतः वाद अ.धा. 88-188 RTA का साक्ष्य सबूत के अभाव में खारिज किया जाता है। यत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर सेक्स हो।

